

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.10(57)न्याय/2015/पार्ट-।

जयपुर, दिनांक

18 NOV 2022

--: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ::--

राजस्थान उच्च न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लेखामदों में निम्नानुसार अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत किया जाता है:-


(राशि रु. लाखों में)

क्र.सं.	लेखामद	स्वीकृत किये जाने वाला अतिरिक्त बजट प्रावधान
1.	2014-00-102-01-00-08 PPSS (SF, Charged)	8.00
2	2014-00-105-02-00-03 TA (SF)	30.00
3	2014-00-105-02-00-07 MOV (SF)	6.00
4	2014-00-105-03-00-04 Medical (SF)	20.00
5	2014-00-105-04-00-20 MOV (SF)	1.00
6	2014-00-105-09-00-03 TA (SF)	3.00
7	2014-00-105-19-01-04 Medical (SF)	100.00
	योग	168.00

जिन लेखामदों में प्रस्तावित अतिरिक्त बजट प्रावधान से कम राशि का अतिरिक्त बजट प्रावधान स्वीकृत किया जा रहा है, उन लेखामदों में शेष राशि संशोधित बजट अनुमान स्वीकृत उपरांत विभाग को उपलब्ध हो सकेगी।


उक्त स्वीकृति वित्त व्यय-5 विभाग की आई.डी. संख्या 102206294 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय

  
(प्रवीर भटनागर)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांक:-III/(1)(B)/Budget/2022-23/3354 दिनांक 29.10.2022 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. कार्यालय निवासी, लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)/(व्यय-5) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

  
(अंकित रमन)  
संयुक्त शासन सचिव